रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271821
CG-DL-E-15042026-271821

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948
No. 257]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

संसदीय कार्य मंत्रालय

युक्तिका अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 281(अ).— संसदीय कार्य मंत्रालय में सी.जी.-डी.एल.-ई.-26122025-268836, सं. 838, दिनांक 26 दिसंबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 924 (अ) दिनांक 19 दिसंबर, 2025 में आंशिक संशोधन के पश्चात, पैरा 1 (2) के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

1(2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होगा। आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित किया जाएगा और आधार संख्या धारक को आधार प्रमाणीकरण से मना करने पर या ऐसा करने में असमर्थ होने पर, किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात्:

सेवाओं की सूची:

(क) सदस्य सेवाएं और अधिकार

• सदस्य सेवाएं (आईटी, टीए/डीए और चिकित्सा दावे), पेरोल और अग्रिम, पेंशन संसाधन, आवास सेवाएं।

(ख) स्वास्थ्य और कल्याण

• संसद सदस्यों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों के सीजीएचएस कार्डों को लिंक करना, चिकित्सा दावे।

(ग) पहचान और पहुंच संबंधी प्रबंधन

• आधिकारिक दस्तावेजों, पहचान और पहुंच सेवा हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के लिए ई-साइन सेवा।

(घ) प्रशासनिक और कर्मचारी सेवाएं

• स्टाफ ऑनबोर्डिंग, सेवा अभिलेख लिंकिंग, सम्पदा सेवाएं, एचआरएमएस और प्रशिक्षण।

(ङ) उपस्थिति और पहुंच नियंत्रण

• कर्मचारियों और संसद सदस्यों की उपस्थिति, सदन के सत्र, आगंतुक पास के लिए सत्यापन।

(च) वित्तीय और अनुपालना

• पीएफएमएस एकीकरण सेवा और भुगतान गेटवे सेवा।

2 . ऐसे मामलों में जहां आधार संख्या धारक आधार प्रमाणीकरण से मना करता है या ऐसा करने में असमर्थ है, तो आधार संख्या धारक ऊपर 1(2) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों का उपयोग करने का विकल्प चुन सकता है| पहचान के निम्नलिखित वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों को भी मान्यता दी जाएगी, अर्थात्ः-

(i) स्थायी खाता संख्या (पैन);
(ii) मतदाता पहचान पत्र|

[फा. सं. 15/6/2025 लेखा और क्रय]

मुकेश कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

ADDENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

G.S.R. 281(E).— In partial modification of the notification of the Government of India, Ministry of Parliamentary Affairs, number G.S.R. 924(E), dated the 19th December, 2025, published in the *Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)*, vide CG-DL-E-26122025-268836, No. 838, dated the 26th December, 2025, the following shall be substituted in place of Para 1(2) :

1(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication shall be on a voluntary basis. The Aadhaar number holder shall be informed of alternate and viable means of identification, and no service shall be denied to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:–

List of Services:
(a) Member Services & Entitlements
• Member services (IT, TA/DA and Medical claims), payroll and advances, pension processing, accommodation services.

(b) Health & Welfare
• Linking of CGHS cards of MPs, staff and dependents, medical claim.

(c) Identity & Access Management
• eSign service for digital signing of official documents, Identity and access service

(d) Administrative & Staff Services
• Staff onboarding, service record linking, estate services, HRMS and training

(e) Attendance & Access Control
• Attendance for staff and MPs, House sessions, verification for visitor passes.

(f) Financial & Compliance
• PFMS integration service and payment gateway service.

2. In such cases wherein the Aadhaar number holder refuses to, or is unable to, undergo Aadhaar authentication, the Aadhaar number holder may choose to use alternate and viable means of identification for the purposes specified above in para 1(2). The following alternate and viable means of identification shall also be recognized, namely:—

(i) Permanent Account Number (PAN);
(ii) Voter Identity Card.

[F. No. 15/6/2025-A&P]

MUKESH KUMAR, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA